(Tendar Cost 500/- Rs.)

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान

(आयुष मंत्रालय, भारत सरकार)
माधव विलास, पैलेस आमेर रोड, जयपुर–302002 (राज0)

फर्म का नाम व पता——————————————————————————
——————————————————————————
——————————————————————————

निविदा–प्रपत्र

1. विषय : संस्थान एवं चिकित्सालय की सुरक्षा व्यवस्था हेतु ।
2. निविदादाता का पूरा नाम व पता : ....

   ....
3. प्रेषित अधिकारी/कार्यालय का नाम निदेशक राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
4. आयकर व बिक्री कर चुकता प्रमाण पत्र संलग्न है/नही है ।
5. धरोहर राशि.........................रूपये रसीदनं0 / डी0डी0 नं0 ....

   दिनांक ....नकद रसीद संख्या ....दिनांक ....

   निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के नाम बनाकर संलग्न कर दिया गया है ।
6. मै/हम निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न शर्तो को स्वीकार करते है और इससे बाध्य रहेंगें।

निविदा दाता के हस्ताक्षर...................................

फर्म का नाम/मोबा0नम्बर....................................

रबड स्टाम्प

स्थान :

परिशिष्ट – 3

तकनीकी निविदा के लिए प्रपत्र (कवर–ए)

(पृथक मोहर बन्द लिफाफे में रखने के लिये)

1. निविदादाता फर्म / एजेन्सी / कम्पनी का नाम : ....
2. स्वामी / हिस्सेदार / निदेशकों के नाम : ....
3. कार्यालय का सम्पूर्ण ब्यौरा : ....
   (अ) पता :
   (ब) दूरभाषा संख्या :
   (स) फैक्स संख्या :
   (द) विधुत प्रेषण संख्या :
4. कम्पनी / फर्म / एजेन्सी के वित्तीय संस्था– बैंकर्स आदि का पूर्ण ब्यौरा
   (अ) बैंक का नाम :
   (ब) बैंक शाखा :
   (स) फैक्स संख्या :
   (द) खाता संख्या :
5. पंजीकरण का विवरण :–
   (अ) फर्म के पंजीकरण प्रमाण पत्र / संख्या की प्रति :
   (ब) स्थायी खाता संख्या (PAN) जी.आई.आर. (GIR) संख्या :
   (स) सेवा शुल्क पंजीकरण संख्या :
   (द) EPF पंजीकरण संख्या :
   (य) ESI पंजीकरण संख्या (राज्य कर्मचारी बीमा) :
6. अमानत राशि का ब्यौरा :–
   (अ) राशि :
   (ब) डी.डी. / एफ.डी.आर. संख्या मय दिनांक :
   (स) देय वित्तीय संस्था का विवरण :
   (द) वैद्यता की तिथि :
7. निविदा शुल्क का विवरण :–
   (अ) राशि :
   (ब) डी.डी. / पी.ओ. संख्या मय दिनांक :
   (स) देय वित्तीय संस्था विवरण :
   (द) वैद्यता की तिथि :

8. वार्षिक कम्पनी/फर्म/एजेन्सी का गत तीन वर्ष के वार्षिक आय–व्यय का लेखा जोखा (मय प्रमाण पत्र)

2014 – 2015

2015 – 2016

2016 – 2017

1. समान क्षेत्र में कार्य का विगत तीन वर्षो का अनुभव (मय प्रमाण पत्र)
2. तकनीकी निविदा के साथ संलग्न दस्तावेज (कृपया परिशिष्ट–1 के परिच्छेद 4 कार्य सम्पादन को देखें)

फर्म के स्वामी/प्रबन्धन सहयोगी/

निदेशक के हस्ताक्षर

नाम :

पता :

दिनांक : 　　　　　　　　दूरभाष संख्या :

स्थान : 　　　　　　　　फर्म की मोहर :

<u>8 Hrs. - Ex. Serviceman</u>

S. No.	Post	Basic Pay	EPF	ESI	Service Charges	Service Tax	Grand Total
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Security Officer						
2.	Security Guard (Ex-Serviceman)						
3.	Security Guard (Civilian)						

निविदादाता फर्म की मोहर

दिनांक :

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

स्थान :

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर

(आयुष मंत्रालय, भारत सरकार)
माधव विलास पैलेस, आमेर रोड जयपुर–302002 (राज0)

निविदा विज्ञप्ति

संस्थान द्वारा रजिस्टर्ड एजेन्सी से अनुबन्ध पर सुरक्षा कार्य कराने के लिए मोहर बन्द निविदाऐं दिनांक 27–09–2017 तक सांय 5.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है । प्राप्त निविदा दिनांक 29–09–2017 को 12.00 बजे उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष खोली जावेगी ।

क्र.सं.	कार्य का विवरण	अमानत राशि
01	सुरक्षा कार्य – संस्थान केम्पस, चिकित्सालय, सम्बन्धित ईकाईयॉ, छात्रावास, हर्बल गार्डन इत्यादि की	2,00,000/–

इच्छुक एजेन्सी सम्पूर्ण कार्य एवं परिसर का निरिक्षण करने के पश्चात दरें देवें । टेन्डर फार्म व आवश्यक शर्ते निदेशक, रा.आ.संस्थान, जयपुर में लेखाशाखा में 500/– रूपये नकद जमा कराकर प्राप्त करें। अन्य जानकारी संस्थान की वेब साइट www.nic.nic.in पर देखने का श्रम करे ।

(प्रो. संजीव शर्मा)
निदेशक

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान

(आयुष मंत्रालय, भारत सरकार)

माधव विलास, पैलेस आमेर रोड, जयपुर–302002 (राज0)

चिकित्सालय/संस्थान सुरक्षा कार्य के ठेके की निविदा की शर्ते

01. संस्थान के केम्पस, चिकित्सालय, छात्रावासो हर्बल गार्डन इत्यादि की सुरक्षा व्यवस्था हेतु सम्पूर्ण विवरण सहित दरें देवे स्थानो का चयन संस्थान द्वारा किया जावेगा तदानुसार आवश्यकतानुसार सुरक्षाकर्मी उपलब्ध करवाए **जाने होंगे ।**

02. चिकित्सालय में तीन पारियों में 24 घण्टे सुरक्षा व्यवस्था की जावेगी।

03. निविदा मोहरबन्द लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी जिस पर "सुरक्षा कार्य हेतु निविदा" स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए ।

04. एजेन्सी को कार्य स्वयं **अपने कर्मचारियों से** सम्पादित करना होगा। एजेन्सी द्वारा ठेके अथवा उसके किसी भाग को अन्य किसी व्यक्ति/संस्था को उप ठेका नही दिया जा सकेगा ।

05. निविदा प्रपत्र एवं संलग्न शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता को अपने लघु हस्ताक्षर तथा अन्त में शर्तो को स्वीकार करने की सहमति के रूप में पूर्ण हस्ताक्षर करने होगें ।

06. निविदा प्रपत्र स्वच्छ बाल पाईन्ट पैन से भरें । ओवर राईटिंग अथवा कटिंग वाली निविदाए स्वीकार नहीं की जावेंगी ।

07. एजेन्सी/फर्म को धरोहर राशि के रूप में 2,00,000/– रूपये डीमाण्ड ड्राफ्ट, निदेशक राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के पक्ष में जमा करानी होगी । असफल निविदादाता को अनुबन्ध होने पर धरोहर राशि संस्थान द्वारा वापस लौटा दी जावेगी ।

08. सफल निविदादाता को दरे अनुमोदन होने के बाद एक सप्ताह में **600/–**रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा ।

09. यदि एजेन्सी के विरूद्ध कोई विवाद नही होगा तो संस्थान द्वारा प्रतिभूति राशि ठेका समाप्त हाने के पश्चात लौटा दी जावेगी तथा इस पर कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा ।

10. यदि एजेन्सी ठेके एवं अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार कार्य सम्पादित करने में असफल रहेगी तो उसका ठेका तुरन्त प्रभाव से निरस्त करते हुए प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी ।

11. एजेन्सी का केन्द्र/राज्य सरकार के कर्मचारी राज्य बीमा, भविष्य निधि तथा जी.एस.टी. में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। Sub Code का रजिस्ट्रेशन व बैंक गारन्टी राजस्थान में होना जरूरी है ।

12. सफल निविदादाता को वार्षिक प्रतिभूति की राशि 5,00,000/– रूपये अनुबन्ध प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर जमा करानी होगी जो कि बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट/एफ.डी.आर. के रूप में निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर को देय हागी । यह राशि संस्थान हितार्थ तथा अनुबन्ध समाप्त होने के सात दिन तक वैध होगी ।

13. गत् तीन वर्षो के कार्य करने का अनुभव एवम् गत तीन वर्षो के वार्षिक विवरण (Balance Sheet) इत्यादि की फोटो प्रति दस्तावेजो के साथ लगाना आवश्यक है ।

14. ठेका अवधि में यदि आपसी कोई विवाद उत्पन्न होगा तो अन्तिम निर्णय निदेशक रा0आ0सं0 जयपुर का मान्य होगा तथा जो भी निर्णय होगा वह एजेन्सी को मान्य होगा।

15. ठेके की शर्तो का उल्लंघन करने पर बिना नोटिस दिये ठेका निरस्त कर दिया जावेगा।

16. एजेन्सी द्वारा निम्नांकित प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था करनी है :–

क्र. स.	विभाग / युनिट	सुरक्षाअधिकारी / गार्ड	समय
01.	संस्थान गेट नं0 1	सुरक्षा अधिकारी	8घंटे
02.	संस्थान गेट नं0 1	सुरक्षा गार्ड	24घंटे
03.	आरोग्य शाला गेट नं0 2	सुरक्षा गार्ड	24घंटे
04.	इमरजेन्सी गेट	सुरक्षा गार्ड	24घंटे
05.	छात्रा छात्रावास	सुरक्षा गार्ड	24घंटे
06.	नर्सिंग छात्रावास	सुरक्षा गार्ड	24घंटे
07.	पी.जी छात्रावास	सुरक्षा गार्ड	24घंटे
08.	मिस्त्री खाना	सुरक्षा गार्ड	24घंटे
09.	बम्बई वाला अस्पताल	सुरक्षा गार्ड	24घंटे
10.	सेटेलाइट अस्पताल जवाहर नगर जयपुर	सुरक्षा गार्ड	8घंटे
11.	हॉस्टल एस.एल.आर.	सुरक्षा गार्ड	24घंटे
12.	रसायन शाला	सुरक्षा गार्ड	8घंटे
13.	बहिरंग विभाग	सुरक्षा गार्ड	8घंटे
14.	जग्गा बावड़ी (धन्वन्तरी उपवन)	सुरक्षा गार्ड	24घंटे
15.	न्यू पुस्ताकालय भवन	सुरक्षा गार्ड	24घंटे
16.	नवीन छात्रा–छात्रावास	सुरक्षा गार्ड	24घंटे
17.	अन्य आवश्यक सुरक्षा कार्यों हेतु	सिविलियन / सुरक्षा गार्ड	8घंटे

आवश्यकतानुसार सुरक्षा कर्मियों की संख्या संस्थान प्रशासन द्वारा घटाई एवं बढ़ाई जा सकती है एवं एजेन्सी को तदानुसार व्यवस्था करनी होगी।

17. **निविदादाता द्वारा प्रस्तुत सर्विस चार्ज शून्य मान्य नहीं होगा ।**

18. **सर्विस चार्जेज को पूर्णाको में अंकित करना चाहिये । यदि डेसीमल / प्रतिशत में अंकित किया जाता है तो वह मान्य नहीं होगा ।**

19. एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये गये सुरक्षा कर्मियों को राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के कर्मचारी के रूप में दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा ।

20. ठेका अवधि एक वर्ष के लिए होगी आगे यदि कार्य संतोषजनक पाया जाता है तो पारस्परिक सहमति से अवधि को एक वर्ष के लिए और बढ़ायी जा सकती है ।

21. प्रत्येक कर्मी का P.F./E.S.I./P.P.F **जमा कराने की जिम्मेदारी फर्म की होगी, परन्तु उसका** विवरण प्रतिमाह संस्थान एवम् कार्यरत् सुरक्षा कर्मियों को उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा ।

22. **फर्म राज्य सरकार / भारत सरकार से निर्धारित संख्या में सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराने हेतु पंजीकृत होनी चाहिए ।**

23. निविदा के साथ आयकर चुकता प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है एवं नियमानुसार संस्थान द्वारा T.D.S. की कटौती की जावेगी ।

24. निदेशक महोदय या उनकी ओर से कोई भी अधिकृत अधिकारी किसी भी समय सुरक्षा कार्य का निरीक्षण कर सकते है तथा कोई भी कमी पाये जाने पर ठेका तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है तथा संस्थान अधिकारियो और निदेशक महोदय के द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा बातचीत या आवश्यक निर्देश देने हेतु बुलाने पर तत्काल उपस्थित होना होगा।

25. **एजेन्सी के कर्मचारियो को संस्थान द्वारा अनुमोदित वर्दी पहननी होगी जिसकी व्यवस्था एजेन्सी स्वयं करेगी, वर्दी साफ सुथरी एवं प्रेस की हुई पहननी होगी । एजेन्सी के द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारी संस्थान में पूर्ण अनुशासन में रह कर कार्य करेगें । किसी भी कर्मचारी के विरूद्ध यदि कोई शिकायत संस्थान को होंगी तो इस पर उस कर्मचारी को फर्म द्वारा बदला जायेंगा । संस्थान में तैनात एजेन्सी के कर्मचारियों को एजेन्सी द्वारा पहचान पत्र (आइडेन्टी कार्ड) जारी करना होगा जिस पर कर्मचारी का पूर्ण विवरण व फोटो होना अनिवार्य होगा । एजेन्सी द्वारा जारी पहचान पत्र (Identity Card) को प्रत्येक कर्मी को पहने रहना अनिवार्य होगा।**

26. **सुरक्षा कार्य के दौरान यदि संस्थान की किसी भी स्थायी/अस्थायी सम्पत्ति को नुकसान या चोरी होने की स्थिति में एजेन्सी द्वारा संस्थान को हुई नुकसान की स्थिति में उसकी राशि की वसूली एजेन्सी के बिल या प्रतिभूति राशि में से की जा सकेगी ।**

27. एजेन्सी द्वारा समय पर कार्य नहीं करने की स्थिति में संस्थान प्रशासन को एजेन्सी के रिस्क एण्ड कास्ट पर अन्य किसी एजेन्सी/संस्था से कार्य पूर्ण कराने का अधिकार होगा जिसकी क्षतिपूर्ति एजेन्सी के बिल/प्रतिभूति राशि में से की जा सकेगी ।

28. एजेन्सी को कार्य आदेश मिलने के बाद 7 दिन या इससे पूर्व कार्य प्रारम्भ करना होगा तथा समय पर कार्य प्रारम्भ न करने की स्थिति में ठेका निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त करली जावेगी ।

29. **एजेन्सी द्वारा सुरक्षाकर्मियो का सेना से डिस्चार्ज प्रमाण पत्र संस्थान में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा ।**

30. एजेन्सी को बिल का भुगतान प्रत्येक माह की अवधि समाप्त होने के बाद, निदेशक महोदय द्वारा मनोनीत अधिकारी से प्रमाणित होने के पश्चात् कार्य सन्तोषप्रद होने पर ही किया जा सकेगा ।

31. **एजेन्सी को केन्द्र सरकार के श्रम नियमो की अनुपालना करनी हेागी ।**

32. सीलबन्द निविदाएं वांछित धरोहर राशि के साथ दिनांक 27–09–2017 को सायं 5.00 बजे तक उप निदेशक (प्रशासन) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के कक्ष में व्यक्तिशः या डाक द्वारा पहुॅच जानी चाहिए।

33. **एजेन्सी का कार्य संतोषप्रद न होने की स्थिति में निदेशक महोदय को एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत बिल राशि में से पेनेल्टी राशि काटने का अधिकार होगा ।**

34. **ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी किसी भी प्रकार के नशे एवं अन्य किसी दुराचरण में लिप्त पाये जाने पर उसे एजेन्सी द्वारा संस्थान से हटाकर अपने दूसरे कर्मचारी को रखना होगा तथा एजेन्सी के विरूद्ध नियमानुसार संस्थान को कार्यवाही करने का अधिकार होगा ।**

35. **स्वीकृत निविदा दाता फर्म को क्षैत्रीय श्रम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी नियमो का पूर्ण रूप से पालन करना होगा एवं न्यूनतम् मजदूरी संबधित नियमो के लिए भी संबंधित फर्म उत्तरदायी होगी ।**

36. सुरक्षा हेतु एजेन्सी द्वारा नियुक्त कर्मचारी का पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन होने पर सत्यापन प्रमाण पत्र संस्थान में प्रस्तुत करने पर ही ड्यूटी पर लगाया जा सकेगा ।

37. एजेन्सी को प्रति सप्ताह की ड्यूटी लिस्ट प्रत्येक सुरक्षा कर्मी की जिस स्थान पर ड्यूटी लगायी जानी है, संस्थान प्रशासन/कार्यालय अधीक्षक को देनी होगी ।

38. **प्रतिष्ठित, अनुभवी, आर्थिक रूप से सुदृढ कम्पनी/फर्म/एजेन्सी आदि से निविदाये आंमत्रित की जाती है । जिनको व्यवसाय का टर्न ओवर 1 करोड़ रूपये वार्षिक हो । इस सम्बन्ध में आवश्यक दस्तावेज निविदा के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा ।**

39. निविदा का सम्पूर्ण विवरण संस्थान की वैब साईट www.nia.nic.in पर भी उपलब्ध है । यदि निविदादाता द्वारा टेण्डर फार्म डाउनलोड करके भरा जाता है तो टेण्डर की राशि रूपये 500/— रूपये (पॉच सौ रूपये मात्र) अर्नेस्ट मनी के अतिरिक्त निदेशक, रा.आ.संस्थान, जयपुर के नाम ड्राफ्ट राशि अलग से प्रेषित करने पर ही टेण्डर पर विचार किया जावेगा ।

40. **किसी भी प्रकार का विवाद होने पर, न्यायालयीय क्षेत्राधिकार केवल जयपुर स्थित न्यायालय को होगें ।**

41. **सम्बंधित फर्म को निविदा के साथ यह शपथ पत्र देना होगा कि फर्म किसी भी केन्द्र अथवा राज्य सरकार एवं इनकी स्वायत संस्था द्वारा अयोग्य** (Black List) **घोषित नहीं किया गया है ।**

42. **एजेन्सी का** SHOP ACT के तहत राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान, अधिनियम, 1958 के तहत संस्थान का पंजीयन प्रमाण पत्र निविदा के साथ लगाना अनिवार्य है ।

43. **सिक्युरिटी एजेन्सी के पास** Security Agencies (Regulation) Act, 2005 and The Rajasthan Private Security Agencies (Regulation) Rules-2006 **के तहत राजस्थान सरकार के महानिदेशक पुलिस, सिविल डिफेन्स एवं होम गार्ड्स तथा कन्ट्रोलिंग औथोरिटी राजस्थान, जयपुर का लाईसेन्स होना आवश्यक है ।**

उप निदेशक (प्रशासन)
राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान
जयपुर